


बिहार सरकार  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

संख्या-IX-11-18/2014-.....<sup>2422</sup> / निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल अनुमंडल मुख्यालय में वर्ष-2009-10 में अस्थायी रूप से खोले गये अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक सृजित पद का वर्ष-2015-16 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।  
2. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं०-2047 दिनांक-06.08.2008, 399 दिनांक-11.02.2011, 5008 दिनांक-11.10.2012, 1547 दि०-28.06.2013 एवं 126 दि०-12.01.2015 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
19/5/15  
(अभय राज)  
विशेष सचिव


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक- IX-11-18/2014-

<sup>2422</sup>

दिनांक- 27/5/2015

- प्रतिलिपि-वित्त (ई-गजट कोषांग) विभाग बिहार, पटना को सी०डी० सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग,, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  3. वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  4. सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/विशेष सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
19/5/15  
विशेष सचिव

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
बिहार, पटना